न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 02/2023

1. रामूराम पुत्र गोमा
2. फूलचन्द पुत्र स्व0 छोटूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणी नागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. नोरता पुत्र गोमा– फौत

1/1– ग्यारसी पत्नि स्व0नोरता

1/2– सीतादेवी पुत्री स्व0नोरता

1/3– शंकरलाल पुत्र स्व0नोरता

1/4– संतरा पुत्री स्व0नोरता

1/5– माया पुत्री स्व0नोरता

1/6– रमेश उर्फ अभिषेक पुत्र स्व0नोरता

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

2. मालूराम उर्फ मालीराम पुत्र गोमा–फौत के बजायः–

2/1– तारादेवी पत्नि स्व0मालीराम

2/2– गीता पुत्री स्व0मालीराम

2/3– मदन पुत्र स्व0मालीराम

2/4– मोहरा देवी पुत्री स्व0मालीराम

2/5– भरत पुत्र स्व0मालीराम

3. छोटूराम पुत्र गोमा–फौत के बजायः–

3/1– तीजा पत्नि स्व0छोटूराम

3/2– सुनिया उर्फ सून्या पुत्री स्व0छोटूराम

3/3– अनिता पुत्री स्व0छोटूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

4. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– 1. श्री गोपी चन्द कुमावत वकील वादी

2. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 29/01/2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, पटवार हल्का डेहरा, भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे नोरता पुत्र गोमा के 11/320 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात को मृतक नोरता, मृतक रामू, मृतक मालूराम, मृतक छोटूराम, पिसरान गोमारा व रूगनाथ, पोखर, नानूडा, धन्ना पिसरान बींजा ने संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड विकय पत्र के खरीद की थी। जिस पर नोरता ने अपने हिस्से के रूपये रामू, मालूराम, छोटूराम, को नही दिये थे क्योकि नोरता के पास उस समय जमीन खरीदने के लिए रूपयो की व्यवस्था नही हुई थी। जिसके कारण रामू, मालूराम, छोटूराम ने अपना बडा भाई होने से विश्वास मे आकर नोरता के हिस्से के रूपये अदा कर रजिस्ट्री करवायी थी और नोरता ने बाद मे अपने हिस्से के रूपये देने का आश्वासन दिया था। लेकिन लगातार बीमार चलने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने से रूपये नहीं दे पाया और नोरता ने अपने जीवन काल मे यह कहां कि मै अपने हिस्से क रूपये नही दे सकता इसलिए तुम तीनो बांट लो खातेदारी मे तुम्हारे तीनो के करवा दूंगा लेकिन लम्बी बीमारी के रहते हुये नोरता की मृत्यु हो गयी। इसलिए उक्त आराजीयात पर केवल मात्र रामू, मालूराम, छोटूराम, ही नोरता के 11/320 हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे तथा मृतक नोरता के वारिसान प्रतिवादी सं01/1 लगायत 1/6 का नोरता पुत्र गोमा के नाम दर्ज 11/320 हिस्से की खातेदारी पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि वादी व प्रतिवादी मृतक मालूराम, छोटूराम, के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 व वादी सं02 का अपने पिता के समय से काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा नोरता क वारिसान ने भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा हमेशा स्वीकार करते रहे है तथा इनकी ही उक्त आराजीयात मानते आये है किसी प्रकार की दखलदांजी उक्त आराजीयात मे नही की है और ना ही नोरता के नाम दर्ज 11/320 हिस्से की भूमि को नोरता के वारिसान द्वारा कभी काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग किया गया है।

वादीगण ने कई बार नोरता के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/6 को नोरता के नाम दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी मृतक मालूराम, छोटूराम, के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 की खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिए कहा जिस पर नोरता के उपरोक्त वारिसा प्रतिवादी सं01/1 लगायत 1/6 विश्वास देते रहे कि कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही खातेदारी भी तुम्हारे नाम दर्ज करवा देंगे एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हमारी सहमति दे देगे। किन्तु आज तक वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी मृतक मालूराम, छोटूराम, के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 की खातेदारी मे दर्ज नही करवायी। अब स्वर्गीय नोरता के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/6 की नियत मे फितुर आ गया है और उक्त आराजीयात को अपने नाम नामांतकरण खुलवाकर वादीगण व प्रतिवादी मृतक मालूराम, छोटूराम, के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 को बेदखल करने पर आमादा है जब वादी ने दिनांक 20/12/2022 को अंतिम बार नोरता के वारिसान प्रतिवादी सं01/1 लगायात 1/6 को वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी मृतक मालूराम, छोटूराम, के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 के नाम करवाने को कहा तो इन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया और वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/6 बाबत घोषणा खातेदारी का डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर मे नोरता पुत्र गोमा के खातेदारी जमाबंदी मे दर्ज हिस्सा 11/320 मे 1/3 हिस्से का वादी सं01 व मृतक मालूराम के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा छोटूराम, के वारिसान प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/3 व वादी सं02 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी अमल दरामद करवाया जावे तथा नोरता पुत्र गोमा का नाम हज़फ़ किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आए। दिनांक 29.01.2025 को वादी एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। प्रवितादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2025 को राजीनाम इस आशय पेश किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 1790 रकबा 8.0169 हे0 वाकै ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नोरता पुत्र गोमा के 11/320 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है यदि मुताबिक वाद के अनुतोष के वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रवितादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

2076 से 2079 का अवलोकन किया। विवादित आराजीयात ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमे नोरता का 11/320 हिस्सा दर्ज है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। तथा प्रतिवादीगण को वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर जिसमे नोरता पुत्र गोमा का 11/320 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात में वादी संख्या 01 को 1/3 हिस्से का, मृतक मालूराम के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा छोटूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/3 व वादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/2025

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस0,

वाद संख्या– 02/2023

1. रामूराम पुत्र गोमा
2. फूलचन्द पुत्र स्व0 छोटूराम

समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणी नागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. नोरता पुत्र गोमा– फौत
   1/1– ग्यारसी पत्नि स्व0नोरता
   1/2– सीतादेवी पुत्री स्व0नोरता
   1/3– शंकरलाल पुत्र स्व0नोरता
   1/4– संतरा पुत्री स्व0नोरता
   1/5– माया पुत्री स्व0नोरता
   1/6– रमेश उर्फ अभिषेक पुत्र स्व0नोरता

   समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
2. मालूराम उर्फ मालीराम पुत्र गोमा–फौत के बजायः–
   2/1– तारादेवी पत्नि स्व0मालीराम
   2/2– गीता पुत्री स्व0मालीराम
   2/3– मदन पुत्र स्व0मालीराम
   2/4– मोहरा देवी पुत्री स्व0मालीराम
   2/5– भरत पुत्र स्व0मालीराम
3. छोटूराम पुत्र गोमा–फौत के बजायः–
   3/1– तीजा पत्नि स्व0छोटूराम
   3/2– सुनिया उर्फ सून्या पुत्री स्व0छोटूराम
   3/3– अनिता पुत्री स्व0छोटूराम

   समस्त जाति कुमावत निवासी मारवालो की ढाणी ढाणीनागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषण, खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **मुकुट सिंह आर0ए0एस0 व हाजरी** श्री गोपीराम कुमावत विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई, श्री सुरेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादीगण रामूराम वगै0 द्वारा प्रस्तुत वाद वाद बाबत् घोषण खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा रा0टी0ऐ0 निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1790 रकबा 8.0169 है0 वाकै ग्राम डेहरा, तहसील जोबनेर जिला जयपुर जिसमे नोरता पुत्र गोमा का 11/320 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात में वादी संख्या 01 को 1/3 हिस्से का, मृतक मालूराम के वारिसान 2/1 लगायत 2/5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा छोटूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/3 व वादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 29 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया		पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.....	04			अर्जी दावा.....		
स्टाम्प वकालतनामा....	02			स्टाम्प वकालतनामा....	10	
स्टाम्प वजह सबूत.....				स्टाम्प वजह सबूत.....		
महनताना वकील.....				महनताना वकील.....		
खर्चा गवाहान.....				खर्चा गवाहान.....		
फीस कमिश्नर.....				फीस कमिश्नर.....		
बाबत् इजराय				बाबत् इजराय		
हुक्मनामा.....				हुक्मनामा.....		
मुतफर्रिक.....				मुतफर्रिक.....	02	
मीजान.....	04			मीजान.....		
कुल	10				12	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

29/01/2025
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर